

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)

कमांक/ 1655 /मान्यता नवीनीकरण/2024-25  
प्रति,

कबीरधाम, दिनांक 13 /08/2024

प्राचार्य,  
श्री रामकृष्ण पब्लिक सिंघनपुरी  
विकास खण्ड कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि धारा 18 के प्रयोजन के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम के 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

—000—

आपके तारीख ..... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं श्री रामकृष्ण पब्लिक इ.मी. सिंघनपुरी विकास खण्ड कवर्धा को तारीख 15.08.2024 से तारीख 30.04.2026 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने कि संसूचना देता हूँ ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता के मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8वीं के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में ) उस कक्षा में बालको कि संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरंक्षक को किसी स्क्रेनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी उम्र का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-  
(एक) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ।  
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।  
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी हाने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।  
(चार) प्राथमिक शिक्षा, पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाएगा ।  
(पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।  
(छैः) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है ,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें ।  
(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।  
(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें ।

.....2.....

  
13/08/2024

1. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
2. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :- स्वयं विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 3.60 एकड़ कुल निर्मित क्षेत्र 50000 वर्गफीट कीडा परिसर का क्षेत्रफल 70000 वर्गफीट कक्षाओं की संख्या 54 प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष 06 हैं शिक्षक संख्या 76 प्रशिक्षित 67 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक मुत्रालय 30 शौचालय 20 हैं ट्युबवेल है की सुविधा है मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई नहीं बाधारहित पहुंच नहीं अध्यापन पठन सामाग्री/कीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता है ।
3. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जावेगी
4. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
5. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत् समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
6. स्कूल को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
7. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
8. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक.- है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें ।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए ।
11. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।
  1. प्रवेश शुल्क केवल एक ही बार लिया जावेगा ।
  2. शाला में नार्मस के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था हों ।
  3. शाला में मूलभूत बुनियादि सुविधाएं,एवं अन्य भौतिक संसाधन हमेशा उपलब्ध रहें । बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
  4. आर.टी.ई.के मान-एवं मानकों को बनायें तथा सुरक्षा के माप दण्डों का पालन हों । अग्निशमन यंत्र पास्को बाक्श की व्यवस्था हों ।
  5. विद्यालय प्रबंध समिति,एवं पालक समिति का गठन हो एवं प्रतिमाह की 10 तारीख को बैठक सुनिश्चित हों ।
  6. स्कूल वाहन में शासन द्वारा जारी सभी गाईड लाइन निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जावे ।
  7. प्राधिकारिणीय समिति की अद्वतन प्रमाणित सूची सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करे ।
  8. शाला समय शासन निर्देशानुसार सुनिश्चित करें ।
  9. आर.टी.ई.के तहत बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करे ।
  10. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/744/मान्यता /निर्देश/2023 कबीरधाम दिनांक 10.02.2023 में दिये गये 21 बिन्दुओं का पालन करें पालन नही करने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ।


  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 13/08/2024

पृ.क्रमांक/4656/मान्यता नवीनीकरण/2024-25

प्रतिलिपि:-

1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 कबीरधाम